स्वत्व वाद संख्या 46 / 2023
दिनांक 22.11.2023

न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज,पूर्वी चम्पारण।

आदेश

दिनांकः 22.11.2023 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी की तरफ दिनांक 01. 11.2023 को आदेश 22 नियम 9 व्यवहार प्रकिया संहिता तथा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन के आदेश हेतु निर्धारित है।

वादी ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रतिवादी सं0 1 सबिता देवी की मृत्यु मई 2023 में हो गयी है उनके दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं यह कि उनके स्थान पर उनका नाम कलमजद कर उनके वारिसों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा किया जाए। यह कि प्रतिवादी सं0 1 अपने पुत्र के साथ रहती थी जिसके कारण उनकी मृत्यु के बारे में समय से जानकारी वादी को नहीं हो सकी इसलिए प्रतिस्थापन आवेदन समयावधि के अंदर नहीं दिया जा सका। मामले में विलंब की माफी के लिए धारा 5 परिसीमा विधि के अंतर्गत आवेदन ही दिया गया है यह कि प्रतिस्थापन आवेदन में हुई विलंब को माफ करने की कृपा की जाए क्योंकि यदि उनके स्थान पर प्रतिस्थापित वारिसों को नहीं किया गया तो न्याय हित में मुदईयान न्याय पाने से वंचित रह जाएंगे अतः वादी के आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा करें।

प्रतिवादी ने आवेदन का प्रतिउत्तर नहीं दिया है। मामले में प्रतिवादी अभी तक न्यायालय में उपस्थित भी नहीं है।

उपस्थित पक्षकारों को सुना, मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद में अभी तक प्रतिवादी उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत मामला में यद्यपि आवेदन विलंब से प्रस्तुत किया गया है परन्तु वादी का परिसीमा विधि के अंतर्गत दिया गया आवेदन जिसमें वादी ने कहा है कि उसको प्रतिवादी सं0 1 की मरने की सूचना देर से प्राप्त हुई क्योंकि वह बाहर रहती थी अतः न्यायालय द्वारा परिसीमा विधि 5 के अंतर्गत वादी के देरी को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा वादी को यह आदेश दिया जाता है कि वह प्रतिवादी सं0 1 सबीता देवी के स्थान पर उनके शेष वारिसान क्योंकि उनके दोनों पुत्र पहले से ही प्रतिवादी के रूप में नामित है। उनकी दोनों पुत्रियों को प्रतिस्थापित करने तथा प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि अग्रिम तिथि तक मरम्मती संबंधी समस्त प्रक्रिया पूर्ण करें और एतद द्वारा यह आवेदन का निपटारा किया जाता है। वाद दिनांक ....वास्ते अग्रिम कार्रवाई ।

स्थानः अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज,पूर्वी चम्पारण।